

16/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने एवं जरिये विद्वां खारिज करने पत्रावली का पेश किया। शामिल पत्रावली हो। पत्रावली पेशी तारीख पर ली जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र के निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान् के प्रकरण में वर्गित खसरो में चाही गई ईस्तदुआ के संबंध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर में अपील में विचाराधीन है जिस कारण उक्त आवेदन में वर्गित ईस्तदुआ का निस्तारण अपीलीय न्यायालय में हो सकेगा। उक्त राजस्व आवेदन आज ही पेशी तारीख पर लिया जाकर जरिये विद्वां खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली विद्वां जरिये खारिज का स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुम्भर होकर दाखिले दपतर हो एवम् नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहान

